न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या–**98 / 2023**

प्रसंगः– **श्री राजेन्द्र पासवान एवं 01 अन्य** – बनाम – **झारखण्ड सरकार एवं 01 अन्य**

आदेश

प्रस्तुत वाद उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक–1490 / विधि दिनांक –21 / 12 / 2024 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित वाद प्राप्त हुआ है। आवेदक राजेन्द्र पासवान, पिता स्व0 छत्तर पासवान, जाति दुसाध, द्वारा मौजा– चन्दवारा, थाना नं0–276, खाता नं0–236, प्लॉट नं0–6437, रकवा –2.62 एकड़ मधे बिक्री रकवा–0.20डी0 भूमि एवं बंधनी देवी, पति डेगन पासवान, द्वारा मौजा– चन्दवारा, थाना नं0–276, खाता नं0–236, प्लॉट नं0–6437, रकवा –26 डी0 मधे बिक्री रकवा–0.20 डी0 भूमि कुल रकवा–0.40डी0 भूमि दोनो ग्राम चन्दवारा, थाना– चन्दवारा, जिला–कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 (i)(b) के तहत् चिन्तामणी देवी, पति श्री बिजु राम, जाति धोबी, ग्राम चन्दवारा, थाना– चन्दवारा, जिला–कोडरमा को बिक्री करने हेतु अनुमति माँगा गया है।

अचल अधिकारी, चन्दवारा का पत्रांक–900 दिनांक–01.12.2023 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन विहित् प्रपत्र में प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि मौजा– चन्दवारा, थाना नं0–276, खाता नं0–236, प्लॉट नं0–6437, रकवा –2.62 एकड़ मधे बिक्री रकवा–0.20डी0 भूमि मौजा– चन्दवारा, थाना नं0–276, खाता नं0–236, प्लॉट नं0–6437, रकवा –26 डी0 मधे बिक्री रकवा–0.20डी0 भूमि कुल रकवा–0.40डी0 उक्त भूमि खतियान के अनुसार विक्रेता के दादा साहेव दुसाध वो मेधो दुसाध पिता पुनीत दुसाध तथा पंजी II के पृष्ठ संख्या 53 / III में साहेव दुसाध वगैरह पिता पुनीत दुसाध के नाम से दर्ज है। भूमि खतियानी रैयती भूमि है। भूमि बिक्री अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं। क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के हैं एवं एक ही जिला के निवासी है, साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति दिया जा सकता है, का मंतव्य दिया गया है।

विक्रेता एवं क्रेता अपने–अपने साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार विक्रेता राजेन्द्र पासवान, पिता स्व0 छत्तर पासवान, का अंचल अधिकारी, चन्दवारा, द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या–JHCSC/2024/83447 दिनांक–18.03.2024 के अनुसार जाति के धोबी, है एवं आवासीय प्रमाण पत्र संख्या– JHLRC/2024/295608 दिनांक–04.04.2024 के अनुसार राजेन्द्र पासवान, पिता स्व0 छत्तर पासवान, जाति दुसाध, ग्राम चन्दवारा, थाना– चन्दवारा,, जिला–कोडरमा के निवासी है। क्रेता चिन्तामणी देवी, पति श्री बिजु राम, जाति प्रमाण पत्र संख्या–56 दिनांक–21.03.2002 जो प्रखण्ड अधिकारी द्वारा निर्गत है के अनुसार क्रेता जाति के धोबी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवारा द्वारा निर्गत है आवासीय प्रमाण पत्र संख्या–86 दिनांक–02.04.2002 के अनुसार क्रेता चिन्तामणी देवी, पति श्री बिजु राम, जाति धोबी, ग्राम साथ, पोस्ट चन्दवारा, जिला–कोडरमा के निवासी है। इस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जाति, एक ही, जिला के निवासी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, चन्दवारा के प्रतिवेदन एवं मंतव्य के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (i)(b) 2nd provision के तहत् प्रश्नगत भूमि मौजा– चन्दवारा, थाना नं0–276, खाता नं0–236, प्लॉट नं0–6437, रकवा –2.62 एकड़ मधे बिक्री रकवा–0.20डी0 भूमि मौजा– चन्दवारा, थाना नं0–276, खाता नं0–236, प्लॉट नं0–6437, रकवा –26 डी0 मधे बिक्री रकवा–0.20डी0 भूमि कुल रकवा–0.40डी0 भूमि चिन्तामणी देवी, पति श्री बिजु राम, जाति धोबी, ग्राम साथ, पोस्ट चन्दवारा, जिला–कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश उपायुक्त, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक–2620/गो0 दिनांक–29.09.2011 के तहत् निर्गत आदेश से अच्छादित रहेगा। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, कोडरमा एवं अंचल अधिकारी, चन्दवारा को भेजें।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2024.06.29 18:26:51 +05:30
Location: 192.168.163.211

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।